न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 141/2019

अनवान :

1. सुभाष पुत्र श्री मोहरसिंह जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– वादी

बनाम

1. मोहरसिंह पुत्र श्री जैसाराम जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. चरणसिंह पुत्र मोहरसिंह जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. कृष्णा पुत्री मोहरसिंह जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा
5. भारतीय स्टेट बैंक, शाखा नजदीक एसीजेएम कोर्ट भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक अनुतोष
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955
उपस्थिति : वकील श्री पवन सिहाग : वादी

निर्णय **दिनांक : 17–02–2020**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मलसीसर के खाता सं0 203/209 के खसरा सं0 30 की 4.3630 है0, खसरा नं0 86 की 3.2250 है0, कुल 7.5880 है0, बारानी खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वाद भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिकी सम्पति है। उपर वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में परिवार का कर्ता खानदान होने के नाते दर्ज हो गई। उपर वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 व 3 का भी जन्म से हक व हिस्सा निहित है। उपर वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के साथ साथ वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 व 3 भी बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादिया सं0 3 ने उपर वर्णित कृषि भूमि में अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि को वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में बहिस्सा बराबर तर्क कर दिया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 4 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया। प्रतिवादी सं0 5 को वकील वादी ने तर्क किया।

साक्ष्य वादी में वादी सुभाष के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्य प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम मलसीसर के खाता सं0 203/209 सम्वत् 2071

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

–74 प्रदर्श 1, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम मलसीसर सम्वत् 2051 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिकी सम्पति है। वादगत कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 व 3 का भी जन्म से हक व हिस्सा निहित है। प्रतिवादिया सं0 3 ने उपर वर्णित कृषि भूमि में अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि को वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में बहिस्सा बराबर तर्क कर दिया है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने ग्राम मलसीसर के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा की पुष्टि में फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम मलसीसर सम्वत् 2051 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाई है जिसमें वाद भूमि वादी के दादा जैसाराम वल्द बालुराम के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है तथा वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 में मोहरसिंह के वारिसान में दो पुत्र सुभाष व चरणसिंह व एक पुत्री कृष्णा होना अंकित है तथा प्रतिवादीया सं0 3 ने राजीनामा में वाद भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के पक्ष में बहिस्सा बराबर त्याग करना स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मलसीसर के खाता सं0 203/209 के खसरा सं0 30 की 4.3630 है0, खसरा नं0 86 की 3.2250 है0, कुल 7.5880 है0, बारानी खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 3 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व चूंकि वाद कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 तीनों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17-02-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(मुकेश बारेठ)
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 141/2019

अनवान :

1. सुभाष पुत्र श्री मोहरसिंह जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– वादी

बनाम

1. मोहरसिंह पुत्र श्री जैसाराम जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. चरणसिंह पुत्र मोहरसिंह जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. कृष्णा पुत्री मोहरसिंह जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा
5. भारतीय स्टेट बैंक, शाखा नजदीक एसीजेएम कोर्ट भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पवन सिहाग की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मलसीसर के खाता सं0 203/209 के खसरा सं0 30 की 4.3630 है0, खसरा नं0 86 की 3.2250 है0, कुल 7.5880 है0, बारानी खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 3 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व चूंकि वाद कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 तीनों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(मुकेश बारैठ)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.02.26 11:18:26 IST
Reason: SelfAttested
Location: